"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 539] रायपुर, बुधवार, दिनांक 21 अक्टूबर 2020 — आश्विन 29, शक 1942

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 16 अक्टूबर 2020

अधिसूचना

क्रमांक/एफ 15–35/15–02/2019/10/48.— छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16–ग की उप–धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये "जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019" विभाग के अधिसूचना क्र./एफ 15–35/15–02/2019/10/11 दिनांक 30–07–2019 जारी की गई थी।

2. पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ के प्रस्ताव दिनांक 27–07–2020 द्वारा जिला कोरबा में विद्यमान 27 सोसाइटियों का पुनर्गठन कर 13 नवीन सोसाइटियों का गठन करना प्रस्तावित किया है, जिसके लिए विभाग द्वारा जिला कोरबा के समितियों के पुनर्गठन हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ 15–35/15–02/2019/10/12 दिनांक 31–08–2020 जारी की गई, जिसमें हितबद्ध पक्षकार या किसी व्यक्ति से दिनांक 10–09–2020 तक दावा आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु समयावधि निर्धारित की गई थी।

3. निर्धारित समयावधि में जिला कोरबा की समितियों के पुनर्गठन हेतु 09 दावा/आपत्ति प्राप्त हुई। विभाग के पत्र दिनांक 30–09–2020 द्वारा उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा को प्राप्त दावा/आपत्तियों का निराकरण करने हेतु प्रेषित किया गया। उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा के प्रतिवेदन दिनांक 05–10–2020 द्वारा 02 दावा/आपत्तियां अमान्य करने तथा 07 दावा/आपत्तियां मान्य करने का अभिमत विभाग को प्रेषित किया गया है एवं सोसाइटियों के पुनर्गठन से संबंधित संशोधित अनुसूचियां प्रेषित की गई है।

4. विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक/एफ 15–35/15–02/ 2019/10/11 दिनांक 30–07–2019 की कंडिका क्रमांक–5 की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा के प्रतिवेदन दिनांक 05–10–2020 एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ के प्रतिवेदन दिनांक 12–10–2020 पर विनिश्चय उपरांत, राज्य शासन एतद्द्वारा जिला कोरबा में विद्यमान 27 सोसाइटियों का पुनर्गठन कर अनुसूची दो एवं तीन में उल्लेखित 14 नवीन सोसाइटियों का गठन करने एवं अनुसूची एक में उल्लेखित सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में संशोधन करने की कार्यवाही हेतु "जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019" एवं अनुसूची एक, दो एवं तीन को अंतिम रूप से अभिप्रमाणित कर प्रकाशित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**पी.एस. सर्पराज**, उप–सचिव.

# जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2019

**01. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार :–**

(क) यह योजना "जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2019" कहलाएगी।

(ख) यह योजना छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होगी।

(ग) यह योजना छत्तीसगढ़ राज्य के जिला कोरबा की उन प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के लिए लागू होगी, जो अनुसूची एक, दो एवं तीन में अधिकथित है।

**02. परिभाषाएँ** :– इस योजना में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:–

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) ।

(ख) "नियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 ।

(ग) "पुनर्गठन" से अभिप्रेत है, इस योजना में अधिकथित अनुसार किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र आस्तियों, दायित्वों तथा सदस्यता आदि का किसी अन्य सोसाइटी को भागतः या पूर्णतः अन्तरण अथवा विभाजन द्वारा नवीन सोसाइटी का गठन।

(घ) "प्रभावित सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिससे किसी अन्य सोसाइटी को कार्यक्षेत्र, आस्तियां, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो।

(ङ) "परिणामी सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिसे किसी प्रभावित सोसाइटी का कार्यक्षेत्र, आस्तियां, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो।

(च) "नवीन सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी सोसाइटी जो विद्यमान नहीं हो परन्तु जिसे इस योजना के परिणामस्वरूप रजिस्ट्रीकृत किया जाए।

(छ) "बैंक" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य की जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बिलासपुर।

(ज) "रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है, सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार अथवा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार की शक्तियां जिसे प्रयोक्त हो.

**03 पुनर्गठन की रीति** :–

(क) किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र, आस्तियों, दायित्वों, कर्मचारी वृन्द तथा सदस्यता आदि को किसी अन्य एक या अधिक विद्यमान सोसाइटियों को भागतः या पूर्णतः अन्तरित करके, या

(ख) किसी विद्यमान सोसाइटी या सोसाइटियों को दो या अधिक नवीन सोसाइटियों में विभाजित करके, या

(ग) किसी विद्यमान सोसाइटी या किन्हीं विद्यमान सोसाइटियों को उक्त (क) एवं (ख) दोनों में उल्लेखित रीतियों से; किया जायेगा।

**04. पुनर्गठन** :– नियत तिथि से –

(क) "अनुसूची–एक" के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम (3) में अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कार्यक्षेत्र उसी के समक्ष कॉलम (4) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा।

(ख) "अनुसूची–दो" के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों का विभाजन कॉलम (3) में अधिकथित नवीन सोसाइटियों में हो जाएगा तथा ऐसी नवीन सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र कॉलम (4) में उनके समक्ष अधिकथित अनुसार होंगे।

(ग) "अनुसूची–तीन" के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम (3) में अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष कॉलम (4) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा तथा कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष कॉलम (5) में अधिकथित नवीन सोसाइटियों का कार्यक्षेत्र हो जाएगा।

**05. सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व** :–

(क) प्रभावित सोसाइटियों के अपवर्जित कार्यक्षेत्र से संबंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व उन परिणामी सोसाइटियों को अन्तरित हो जाएंगे जिन्हें ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र अन्तरित हुए हों।

(ख) प्रभावित सोसाइटियों के ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र जिनसे नवीन सोसाइटियों का गठन हो रहा हो, से सम्बंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व नवीन सोसाइटियों की सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व होंगे।

(ग) आस्तियों तथा दायित्वों का विभाजन करने के लिए सामान्यतया 30 जून, 2019 की स्थिति में सदस्यों पर अवशेष ऋण को आधार माना जाएगा।

06. **रजिस्ट्रेशन/निरसन** :–

(क) इस योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप जिन नवीन सोसाइटियों का गठन होना आशायित होगा उनके रजिस्ट्रीकरण के आदेश, प्रमाण पत्र तथा उपविधियां रजिस्ट्रार के द्वारा या उसके अधीनस्थ ऐसे संयुक्त/उप/सहायक रजिस्ट्रार के द्वारा तैयार किये एवं जारी किये जाएंगे, जो अधिनियम की धारा 9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण करने के लिए सशक्त होगा।

(ख) जहॉ आवश्यक हो वहॉ ऐसी प्रभावित सोसाइटियों, जिनके अस्तित्व को बनाये रखना आवश्यक नहीं होगा, के रजिस्ट्रीकरण को सक्षम अधिकारी द्वारा संबंधित विधि अनुसार रद्द किया जावेगा।

07. **कर्मचारीवृन्द** :–

(क) नवीन सोसाइटियों में प्रबन्धक की नियुक्ति नियमों के अनुसार की जाएगी।

(ख) प्रभावित सोसाइटियों के कर्मचारीवृन्द अन्तरित कार्यक्षेत्र के अनुरूप परिणामी सोसाइटियों के कर्मचारी हो जाएंगे।

08. **अधिकार, हित और कर्त्तव्य आदि** :–

(क) परिणामी सोसाइटियों को अन्तरित कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार, हित, कर्त्तव्य बाध्यताएँ आदि उनमें ही निहित होंगी।

(ख) नवीन सोसाइटियों में उनके कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार, हित कर्त्तव्य, बाध्यताएँ आदि निहित होंगी।

09. **विवाद** :– इस योजना से प्रभावित सदस्यता, आस्तियों, दायित्यों एवं कर्मचारीवृन्द विषयक कोई भी विवाद अधिनियम की धारा 64 के अधीन संयुक्त पंजीयक/पंजीयक द्वारा निराकृत किया जाएगा।

10. **आदेश जारी करने की शक्तियां** :– इस योजना के क्रियान्वयन में आने वाले कठिनाइयों, समस्याओं, विवादों आदि को दूर करने तथा योजना के क्रियान्वयन को सुकर बनाने के लिए राज्य सरकार तथा रजिस्ट्रार ऐसे अनुषांगिक और परिणामिक आदेश कर सकेंगे जैसा कि परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित हो, यह और भी कि रजिस्ट्रार समय–समय पर ऐसा निर्देश/मार्गदर्शन भी जारी कर सकेगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे।

संलग्न :– अनुसूची – एक, दो एवं तीन

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**पी.एस. सर्पराज,** उप–सचिव.

## जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2019

### अनुसूची – एक

| क्र. | विद्यमान सोसाइटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसाइटी) | अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम) | विद्यमान सोसाइटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुडा है (परिणामी सोसाइटी) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | लाफा | घुईचुंवां, भरुवामुड़ा, कपोट | चैतमा |
| 2 | दुरपा | सेमीपाली, सुमेधा, नागीनभांठा, सलियाभांठा, लाटा, अंगारखार, केंदईखार, कुमगरी | छुरीकला |

## अनुसूची – दो

| क्र. | विद्यमान सोसाइटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसाइटी) | नवीन सोसाइटी | नवीन सोसाइटी का कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम) |
|---|---|---|---|
| 1 | सुखरीकला | फरसवानी | दर्राभांठा, खरवानी, फरसवानी, सराईपाली, रीवापार, जमनीपाली |
| 2 | कोरबी | पिपरिया | पिपरिया, समलाई, कुम्हारीदर्री, अमलीबहरा, सिर्री, पोडीकला, धौरामुडा, कोडगार, |
| 3 | पोडी उपरोडा | मोरगा | मोरगा, केतमा, केन्दई, धजाक, भुलसीभवना, खिरटी, उचलेंगा, पतुरियाडाढ, अरसिया, नवापारा (अरसिया), ठुठीपिपर, गिध्दमुडी, सिर्रीआमा, मदनपुर, पुटा, साखो, |
| 4 | भैसमा | तिलकेजॉ | तिलकेजा, पताढी, पहंदा, सराईडीह, खोडडल, |
| 5 | सोहागपुर | कोथारी | कचोरा, कोथारी, गितारी , महोरा, देवलापाठ, बीरतराई, नवलपुर, चिचौली, बंजारी |
| 6 | बरपाली | कनकी | कथरीमाल, कनकी, गुमिया, जोगीपाली, तरदा, बैगापाली, भादा |
| 7 | चिकनीपाली | तुमान | तुमान, ढोढातराई, जामपानी, छापापाट, गिधौरी, दादरकला, जुनवानी, कापूपहरी |
| 8 | हरदीबाजार | कोरबी | कोरबी, बोकरामुडा, भलपहरी, मुक्ता, धतुरा, मुडापार, जोरहाडबरी, बम्हनीकोना, खम्हरिया, पथर्री, ढोलपुर, |
| 9 | भिलाईबाजार | अखरापाली | अखरापाली, भर्राकुडा , कटसीरा, भाठीकुडा, गंगदेई, बिरदा, चैनपुर, सराईसिंगार, दर्री, मौहाडीह, मुढाली, |
| 10 | रामपुर | नवापारा | नवापारा, घिनारा, बोतली, टेंगनमार, बेंहरचुआ, बोकरदा, खुटाकुडा, सुअरलोट, केराकछार, |
| 11 | श्यांग | बरपाली | बरपाली, कलमीटिकरा, कटकोना, बैगामार, जिल्गा, बासीन, तराईमार, सोल्वां, छुईढोडहा, कोल्गा, फुलसरी, समरकला, डीलाडेरा, लबेद, डुमरडीह, गिरारी, गितकुवारी, |
| 12 | सिरमिना | कुल्हरिया | कुल्हरिया, कुरथा, बुढ़ापारा, झिनपुरी, मिसिया, जजगी, खम्हारमुड़ा, भुकभुकी, पाली, दुल्लापुर, |
| 13 | बरपाली | पठियापाली | घाठाद्वारी, दमखांचा, पठियापाली, धमनागुड़ी, गाड़ापाली, ठरकपुर |

## अनुसूची – तीन

| क्र. | विद्यमान सोसाइटी जो प्रभावित है (प्रभावित क्षेत्र) | अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम) | विद्यमान सोसाइटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुडा है (परिणामी सोसाइटी) | नवीन सोसाइटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुडा है |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | पोड़ी | राहाडीह, तालापार, खैराडुबान, संमरकछार | पाली | – |
| | | निरधि, धांवा, रोहिनाडीह, पोलमी, परसदा, बापापुत्ती, सिल्ली, शिवपुर | – | निरधि |

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2020.